"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 738] नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 सितम्बर 2025 — भाद्र 31, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. 6262/डी. 139/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 10–09–2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 31 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा। **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 70 की उप-धारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:- **धारा 70 का संशोधन.**

"परन्तु किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का ऐसा उप-खण्ड नहीं बनाया जायेगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो।"

3. धारा 107 की उप-धारा (5) के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:- **धारा 107 का संशोधन.**

"परन्तु किसी बात के होते हुए भी, सर्वे-रिसर्वे के पश्चात किसी ग्राम के लिए अंतिम रूप से तैयार एवं अधिसूचित जियो रिफंरेन्सड नक्शे अधिमान्य होंगे।"

4. मूल अधिनियम की धारा 110 में,- धारा 110 का संशोधन.

(क) उप-धारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"परन्तु यह कि पंजीकृत अंतरण विलेख, जिसमें भूमि का अंतरण हो, जो कि वाणिज्यकर (पंजीयन) विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा, का नामांतरण ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा राज्य सरकार विहित करे।"

(ख) उप-धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(9) इस धारा में अंतर्विष्टि किंसी बात के होते हुए भी धारा 164 की उप-धारा(2) के अधीन सूचीबद्ध विधिक वारिसानों के पक्ष में ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, स्वतः ई-नामांतरण किया जावेगा।

(10) सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति के पश्चात, निर्मित किसी परियोजना की समस्त भूमि में वहाँ के सभी भूखंड/भवन धारक को उसके धारित भूखंड/भवन के समानुपात में ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, नामांतरण कर सकेगा।"

5.(1) मूल अधिनियम की धारा 164 में, शब्द "भूमि स्वामी" के पूर्व अंक "(1)" अंतः स्थापित किया जाये। धारा 164 का संशोधन.

(2) धारा 164 की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"(2) भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में ऐसी रीति से जैसा कि राज्य सरकार विहित करे, समस्त विधिक वारिसानों को राजस्व अभिलेखों में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध करवा सकेगा।"

6. मूल अधिनियम की धारा 172 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:- धारा 172 का संशोधन.

"(1) यदि किसी प्रयोजन के लिए धारित भूमि का भूमिस्वामी अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए

व्यपवर्तित करना चाहता है तो वह विहित रीति से सक्षम प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जो इस संहिता के अधीन अनुज्ञा दे सकेगा या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा।

परन्तु यह कि यदि ऐसी भूमि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 (क्र. 23 का 1973) के अधीन स्वीकृत विकास योजना (मास्टर प्लान), निवेश क्षेत्र अंतर्गत कृषि भिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित कर दी गई है और/या नगर विकास योजना (टी.डी.एस.)स्वीकृत है और/या छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम, 2025 और/या राज्य की प्रचलित औद्योगिक नीति और/या ऐसे अन्य क्षेत्रों में, जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करें, के लिए भू-उपयोग परिवर्तन कराने हेतु अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी। केवल विहित रीति से पुर्ननिर्धारण कर सकेगा।"

7. मूल अधिनियम की अनुसूची 4 में,-. **अनुसूची 4 का संशोधन**

(i) कॉलम (4) के शीर्षक के अंतर्गत शब्द "योजना" के स्थान पर शब्द "योजना/विशिष्टयों" प्रतिस्थापित किया जाये।

(ii) स.क्र. "स" के कॉलम (4) में शब्द "योजना" के पश्चात, शब्द एवं अंक "दिनांक 31.10.2024 तक गृह निर्माण मंडल को आवंटित भूमियों" जोड़ा जाए।"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 सितम्बर 2025

क्र. 6262/डी. 139/21–अ/प्रारू./छ.ग./25. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 31 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 31 of 2025)

THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent And commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2025.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 70.

2. After sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything, such a sub-division of agricultural land shall not be made where the area is less than 0.05 acres."

Amendment of

3. After sub-section (5) of Section 107, the

following proviso shall be added, namely:- **Section 107.**

"Provided that in spite of anything, after the survey and resurvey, the final and notified geo-referenced maps shall be considered the final map of the village."

4. In Section 110 of the Principle Act,- **Amendment of Section 110.**

(a) After sub-section (7), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the mutation, which is accomplished by the Commercial Tax (Registration) Department, shall be done such manner as may be prescribed by the State Government."

(b) After sub-section (8), the following sub-sections shall be added, namely:-

"(9) Notwithstanding anything contain in this Section, the e-mutation shall be done automatically in such manner as may be prescribed by the State Government for the listed legal heir under sub-section (2) of Section 164."

(10) After the approval of the competent authority, mutation of rights can be done in favour the holders of all the plots/buildings

on the entire land constructed in any project, in proportion to the land/building held by them in such manner as may be prescribed by the State Government."

5. (1) In Section 164 of the Principle Act, before the word “Subject”, the figure “(1)” shall be inserted. **Amendment of Section 164.**

(2) After sub-section (1) of Section 164, the following sub-section shall be added, namely:-

“(2) The bhumiswami may, during his lifetime, get all his legal heirs listed in the revenue records to the competent authority in such manner as may be prescribed by the State Government.”

6. For sub-section (1) of Section 172 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:- **Amendment of Section 172.**

"(1) If the landowner of the land wishes to divert his holding or any part thereof to any other purpose except agriculture, held for particular purpose, to any other purpose than agriculture, then he shall apply to the competent authority in the prescribed

manner, who may grant permission or refuse to grant permission under this Code:

Provided that, if such land is reserved for a purpose other than agriculture under the approved Development Plan (Master Plan) or in the Planning Area, or/and approved Town Development Schemes (T.D.S.) under the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and/or Chhattisgarh Kifayati Jan Awas Rules, 2025 and/or Prevalent Industrial Policy of the State and/or in such other areas as the State Government may, by notification specify, then permission shall not be required for the change of land use. Only reassessment would be done as prescribed."

7. In Schedule IV of the Principal Act,- **Amendment of Schedule IV.**

(i) under heading of column (4), for the words "Scheme", the words "Scheme/Specifications" shall be substituted.

(ii) in column (4) of S. No. "C", after the word "Planning", the words and figures "Lands allotted to Housing Board till dated 31.10.2024" shall be added."